कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर संभाग–2,
मोती बंगला परिसर, एम.जी. रोड, इन्दौर

//विज्ञप्ति//

कार्यालय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर संभाग–1, 2 एवं 3 के अर्न्तगत आने वाले वृत्त कार्यालयों के उपयोग हेतु 9 चार पहिया वाहन, (इण्डिका विस्टा) वाहन ग्रहण दिनांक से दिनांक 31.3.2016 तक किराये पर लिये जाना हैं। अतः वाहन किराये पर लिये जाने हेतु इस कार्यालय द्वारा मुहरबन्द निविदाएँ दिनांक 27.07.2015 को दोपहर 3.00 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं। नियत दिनांक तथा समय के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

निर्धारित दिनांक एवं समय तक प्राप्त मुहरबन्द निविदाएं उसी दिन दि. 27.07.2015 को शाम 4.00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके एक अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जाएंगी। यदि निविदाकर्ताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं रहते हैं, तो कार्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा निविदाएं खोली जाएंगी।

वाहनों के लिये शर्तें निम्नानुसार है :–

1/ वाहन मालिक/संस्था सर्विस टेक्स देने की पात्रता रखता हो तथा वाहन मालिक/संस्था का केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में पंजीयन (पन्द्रह डिजिट का कोड नंम्बर) होना अनिवार्य है।

2/ वाहन डीजल एवं ड्रायवर सहित उपलब्ध कराना होगा। ड्रायवर का कमर्शियल ड्रायविंग लायसेंस वैध तिथि का होना चाहिये।

3/ वाहन चालक के अवकाश पर रहने की स्थिति में दूसरा वाहन चालक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ड्रायवर का आचरण शालीन तथा अनुशासित होना चाहिए। उसके विरूद्ध किसी भी पुलिस थाने पर कोई अपराध प्रकरण पंजीबद्ध नहीं होना चाहिये।

4/ वाहनों का नियमित रूप से मैन्टेनेंस किया जाना आवश्यक है तथा वाहन में फ्यूल, मैन्टेनेन्स, वाहन चालक का एवं अन्य समस्त व्यय वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा।

5/ समस्त शासकीय/अन्य करों आदि का नियमानुसार भुगतान वाहन एजेन्सी द्वारा वहन किया जाएगा तथा भुगतान योग्य आयकर का नियमानुसार स्त्रोत पर कटौत्रा किया जाएगा। सेवाकर का भुगतान संस्था द्वारा किया जाएगा तथा पिछले 3 वर्षों में चुकाए गए सर्विस टेक्स की रसीदें निविदा के साथ प्रस्तुत करें।

6/ **अ.** किराए पर प्राप्त किये जाने वाला वाहन बीमित (Insured) होना चाहिये। वाहन की दुर्घटना होने की स्थिति में समस्त प्रकार का उत्तरदायित्व वाहन किराए पर देने वाली एजेन्सी का होगा।

ब. वाहन की चोरी या क्षतिग्रस्त होने पर समस्त कानूनी कार्यवाही का उत्तरदायित्व संबंधित एजेन्सी का होगा।

7/ मासिक किराये के तहत वाहन का उपयोग प्रतिमाह 1000 कि.मी. होगा।
किसी माह में प्रवास की स्थिति में 1000 कि.मी. से अधिक उपयोग पर प्रति किलोमीटर किराये की दर पृथक से दर्शाई जाए।

8/ वाहन मॉडल 2013 से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यदि नया वाहन क्रय कर प्रदाय किया जाता है, तो तद्नुसार घोषणा पत्र संलग्न करें। वाहन अच्छी हालत में होना चाहिए एवं उसे क्षेत्रिय परिवहन कार्यालय में टैक्सी कोटे में पंजीयत होना चाहिए। इस आशय के प्रमाण प्रस्तुत करें।

.....2–

9/ आवेदन में मासिक दर समसत करों सहित दर्शायी जाय। इसके अतिरिक्त प्रतिदिन का जिले के बाहर प्रवास हेतु दरें भी पृथक से दर्शाई जाएं।

10/ वाहन किराये पर देने वाली एजेन्सी द्वारा वाहन, सम्पूर्ण माह के लिए वाहन चालक सहित किराये पर उपलब्ध कराया जाएगा। यदि किसी दिन वाहन उपलब्ध नहीं हुआ तो प्रत्येक दिवस के लिए आनुपातिक रूप से देय राशि के समान राशि की कटौती की जाएगी।

11/ **अ.** यदि किसी दिवस लगातार 12 घण्टे से अधिक सेवा ली जाती है, तो रू. 100/– प्रतिदिन की दर से अतिरिक्त देय होगा।

ब. यदि 12 घण्टे से ज्यादा के साथ रात्री विश्राम वाहन चालक द्वारा किया जाता है। तो रू. 50/– भत्ता प्रतिदन की दर से देय होगा।

12/ वाहन किराए पर लेने की अवधि आवश्यकतानुसार कम अथवा अधिक की जा सकती है, जिसकी सूचना पूर्व में दी जाएगी। दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मूल निविदा, पुरानी शर्तों के साथ अधिकतम दो बार बढ़ाई जा सकती है।

13/ वाहन मालिक/संस्था के स्वयं के नाम से कम से कम 5 इण्डिका विस्टा वाहन टेक्सी कोटे में पजीयत होना चाहिये।

14/ वाहन की टूट–फूट होने पर रिपेयरिंग का खर्च, नियमित रिपेयरिंग एवं सर्विसिंग आदि का व्यय वाहन मालिक को करना होगा। खराब होने की स्थिति में अन्य वाहन (अच्छी हालत) में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि तीन दिवस तक लगातार वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो उक्त वाहन की निविदा निरस्त की जा सकेगी।

15/ निविदाकर्ता द्वारा रूपये 100/– के स्टाम्प पर शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उन्हें समस्त शर्तें मान्य हैं।

16/ रूपये 60,000/– की अर्नेस्ट मनी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो 1 जुलाई 2015 से पूर्व का न हो तथा उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर संभाग–2 के पक्ष में देय हो, प्रस्तुत करना होगा। निविदा के साथ नियमानुसार 2 सीलबंद लिफाफे संलग्न करना होंगे। प्रथम सीलबन्द लिफाफा "अ" अर्नेस्ट मनी का होगा, जिस पर अर्नेस्ट मनी मय सह पत्रों के लिखा होगा। दूसरा सीलबंद लिफाफा "ब" निविदा का होगा। सर्व प्रथम 'अ' लिफाफा को खोलकर शर्तें पूर्ण करने वाली संस्थाओं की सूची तैयार की जाएगी। जिन संस्थाओं द्वारा शर्तें पूर्ण नहीं की जा सकेंगी उनका 'ब' लिफाफा नहीं खोला जाएगा। तैयार की गई सूची के आधार पर निविदाकारों को न्यूनतम दरों के आधार पर प्रथम/द्वितीय सफल निविदाकार घोषित किया जाएगा। प्रथम एवं द्वितीय सफल निविदाकर्ता को छोड़कर शेष की अर्नेस्ट मनी वापस कर दी जायेगी।

17/ निविदा को मान्य/अमान्य/स्थगित करने या वाहनों की संख्या कम/ज्यादा करने का पूर्ण अधिकार उपायुक्त, वाणिज्यिक कर, इन्दौर संभाग–2 के पास सुरक्षित रहेगा।

18/ निविदा स्वीकार होने पर संबंधित एजेन्सी को वाहन एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराना होंगे तथा निर्धारित प्रारूप में जानकारी (वाहन तथा वाहन चालक की) अधोहस्ताक्षरकर्ता को देना होगी।

(एस.के. जोशी)
उपायुक्त, वाणिज्यिक कर
इन्दौर संभाग–2